


८१

५०६

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर संभाग

गतान्तिराज (म0प्र0)



निगरानी प्रकरण क्र. ४५८०.३. II / 2016

परा. २०१

सर्वजीत सिंह चौहान तनय रव. शिवप्रसाद सिंह चौहान उम्र 50 वर्ष, पेशा—वकालत निवासी ग्राम—कलेक्ट्रेट के पीछे अर्जुन नगर नौढ़िया सीधी तहसील गोपद बनास, जिला—सीधी (म0प्र0)

-----निगरानीकर्ता

बनाम

- सतेन्द्र सिंह चौहान तनय लल्लू सिंह चौहान उम्र 52 वर्ष, पेशा—नौकरी, निवासी ग्राम पड़ैनिया, तहसील गोपद बनास जिला—सीधी (म0प्र0)
- झानेन्द्र सिंह उर्फ जयनेन्द्र सिंह तनय लल्लू सिंह उम्र 50 वर्ष, पेशा—खेती एवं व्यापार निवासी ग्राम पड़ैनिया तहसील गोपद बनास, जिला—सीधी (म0प्र0)
- मध्यप्रदेश शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सीधी जिला सीधी (म0प्र0)

-----उत्तरवादीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सीधी जिला सीधी (म0प्र0)  
प्रकरण क्रमांक 46 / अपील / 2008-09 पारित  
आदेश दिनांक— 14.12.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश  
मू—राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नांकित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है:-

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य

- यह कि ग्राम पड़ैनिया पवाई तहसील गोपद बनास जिला सीधी म0प्र0 की भूमि खसरा नम्बर 118/2 रकवा 0.013 हेठा, 118/3 रकवा 0.013 हेठा, 118/4 रकवा 0.013 हेठा 118/5 रकवा 0.013 हेठा को जरिये पंजीकृत बर्यनामा द्वारा

24/12/16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-आ

४।

प्रकरण क्रमांक R5493-II/16

जिला-सीधी

सर्वजीत सिंह चौहान/ सतेन्द्र सिंह चौहान

(1)	(2)	(3)
५५/४/७	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आशीष प्रताप सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 46/अपील/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 14.12.15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशनंद्र चौधरी), सदस्य</p>	